न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 31/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2017/00187

उनवान

1. निरोती पुत्र किशनलाल
2. पुनियॉ
3. प्रेमदेई
4. अनारदेई

} पुत्रीयान किशनलाल जातिगण चमार निवासीगण मालौनी पवार तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दि0 24.05.2010 प्र.सं. 22/2005 उनवानी निरोती बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अम्बीश श्रीवास्तव अनुपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक–14.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् स्वत्व घोषणा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 527 रकवा 02 बीघा, 529 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम मालौनी पवार तहसील सैपऊ में स्थित है। जिसका नियमन दिनांक 15.12.1973 को नायब तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलाण्ट/वादीगण के पिता किशनलाल के नाम किया गया था। जिसका नामान्तकरण दिनांक 28.12.1974 को स्वीकार किया जाकर किशनलाल को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड कर दिया। किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाण्ट/वादीगण उसके जायज वारिस हैं, उनके नाम विरासत में दिनांक 07.06.1992

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को नामान्तकरण संख्या 1187 दाखिल खारिज हो चुका है। अपीलाण्ट/वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक उनके नाम का अंकन बतौर गैर खातेदार दर्ज है। अतः वाद दायर कर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस अपीलाण्ट की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह राणा ने उपस्थित होकर ब्रीफ प्रस्तुत कर बताया कि श्री अम्ब्रीश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः आगामी पेशी दी जावें। हमने मनन किया। प्रकरण पुराना है, पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 13.06.2018 को अपीलाण्ट ने स्वयं दिनांक 14.06.2018 को बहस हेतु निर्धारित करने की प्रार्थना की थी। अब पुनः समय की मांग अनुचित व न्यायालय के समय को नष्ट करना है। अतः बहस राजकीय अभिभाषक एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अपने कथित नियमन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित तीन तनकियॉ कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. **तनकी संख्या 01** को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट/वादीगण पर था। अपीलाण्ट मुख्य रूप से नियमन के आधार पर गैर खातेदारी इन्द्राज होने एवं स्वयं को विवादित आराजी पर खातेदार घोषित करने का दावा लेकर आया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलाण्ट के आवण्टन आदेश प्रस्तुत नही करने के कारण दावा खारिज किया है। परन्तु नकल जमाबन्दी सम्वत 2047–50, 2055–58, 2059–62 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादीगण के पिता किशनलाल एवं उनकी मृत्यु उपरांत स्वयं अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं एवं नकल नामान्तकरण संख्या 211 से विवादित आराजी का मृतक किशनलाल के नाम गैर खातेदारी इन्द्राज होने एवं विरासत नामान्तकरण संख्या 1187 से अपीलाण्ट/वादीगण का नाम दर्ज हुआ है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से तो सहमत हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा नियमन के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण, भूमि प्राप्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का स्त्रोत पर्याप्त रूप से स्पष्ट नही किया है। किन्तु शास्वत रूप से कोई भी लम्बे समय तक गैर खातेदार दर्ज नही रह सकता है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादीगण के सम्वत 2047–50, 2055–58, 2059–62 तक गैर खातेदारी इन्द्राज रहे हैं। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई परीक्षण नही किया है। अतः तनकी के निष्कर्ष पर पॅहुचने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर और अधिक परीक्षण वांच्छित है।

6. **तनकी संख्या 02** को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर था। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार, सैपऊ ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है, जबकि राज्य हित में तहसीलदार को जवाब देना चाहिए था। यहॉ हम प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार, वैर को लापरवाह व कर्त्तव्य के प्रति उदासीन पाते हैं। अपीलाण्ट/वादीगण राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज रहे हैं। इन्हें समय के साथ या तो खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे अथवा गैर खातेदारी इन्द्राज समाप्त करने के लिए कार्यवाही, तहसीलदार सैपऊ प्रतिवादी संख्या 02 को करनी चाहिए थी। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार सैपऊ ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट/वादीगण द्वारा किन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अतः इस तनकी को भी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

7. **अनुतोष** –उपरोक्त विवेचनानुसार, विवादित भूमि का चूंकि शास्वत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज रहना उचित नही है। अतः हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2010 अपास्त किये जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एंव अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर